

अतिमहत्त्वपूर्ण
ई-मेल/फैक्स

पत्र संख्या-13/विविध-04/2016सा.136/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।

महानिदेशक, निगरानी, बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

विषय :- रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित मामलों में विगत एक वर्ष में सरकारी दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये मामलों की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन के संबंध में ।


महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पदाधिकारियों एवं कर्मियों से संबंधित मामलों में विगत एक वर्ष में सरकारी दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये मामलों की समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संलग्न तालिका के अनुसार मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि उक्त मामलों से संबंधित सरकारी सेवकों के विरुद्ध पारित दण्डादेश/न्यायादेश की प्रति एवं संलग्न प्रपत्र में वांछित प्रतिवेदन दो दिन पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं संलग्न सूची में निर्धारित तिथि को ससमय इस विषय के जानकार वरीय पदाधिकारी को विभागीय प्रतिवेदन के साथ भाग लेने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाय ।

अनु.-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,



(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव ।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 26.11.2018 से सभी विभागों के घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये

सरकारी सेवकों से संबंधित मामलों की समीक्षा हेतु कार्यक्रम :-

क्र.	विभाग का नाम	समीक्षा की तिथि	समय	क्र.	विभाग का नाम	समीक्षा की तिथि	समय
1	2	3	4	1	2	3	4
1	सामान्य प्रशासन विभाग/निगरानी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	26.11.2018 (सोमवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	1	गृह विभाग (गृह आरक्षी/गृह विशेष/गृह कारा एवं महानिदेशक, पुलिस का कार्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पंचायती राज विभाग	26.11.2018 (सोमवार)	05.00 बजे अपराह्न
2	वित्त विभाग/निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ परिवहन विभाग/विधि विभाग	27.11.2018 (मंगलवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	2	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग	27.11.2018 (मंगलवार)	05.00 बजे अपराह्न
3	जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग	28.11.2018 (बुधवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	3	सहकारिता विभाग/कृषि विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/उद्योग विभाग	28.11.2018 (बुधवार)	05.00 बजे अपराह्न
4	स्वास्थ्य विभाग/वाणिज्य-कर विभाग/ निर्वाचन विभाग/ संसदीय कार्य विभाग/अल्प संख्यक कल्याण विभाग	29.11.2018 (बृहस्पतिवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न	4	शिक्षा विभाग/पर्यटन विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ऊर्जा विभाग	29.11.2018 (बृहस्पतिवार)	05.00 बजे अपराह्न
5	समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	30.11.2018 (शुक्रवार)	11.00 बजे पूर्वाह्न				

ट्रैप केश (TRAP CASES) {प्रपत्र}

गत एक वर्ष में ट्रैप से संबंधित सरकारी कर्मियों के विरुद्ध दिये गये सरकारी दण्डादेश को माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये मामलों से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन :-

क्र.सं.	विभाग का नाम	आरोपित पदाधिकारी का नाम/पदनाम/सेवा संवर्ग/तत्कालीन पदस्थापन	विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी का नाम	उपस्थापन पदाधिकारी का नाम	संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष	सरकारी दण्डादेश (प्रति के साथ)	मा. उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में दायर वाद संबंधी विवरण-न्यायादेश की प्रति संलग्न की जाय ।	संबंधित सरकारी अधिकारी	सरकारी दण्डादेश रद्द का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2